

अनुदान संख्या 10 - कोयला मंत्रालय
GRANT No.10 - MINISTRY OF COAL

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	447,70,00	420,89,92	-26,80,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			26,70,01
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	30,00,00	29,78,65	-21,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			12,08

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1360.00	1193.72	1187.51	-6.21
पु.	R.	-166.28			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	2430.00
पु.	R.	-2430.00			

(I) ₹2430.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹2430.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "कोयला और लिग्नाइट - अन्य व्यय"-

(A) "Coal and Lignite - Other Expenditure"-

- (क) “क्षेत्रीय समन्वेषण” - ₹800.00 लाख; (a) ‘Regional Exploration’- ₹800.00 lakhs;
- (ख) “पर्यावरणी उपाय और धसकन नियंत्रण” - ₹320.00 लाख; (b) “Environmental Measures and Subsidence Control”- ₹320.00 lakhs;
- (ग) “विस्तृत वेधन” - ₹1130.00 लाख ; और (c) “Detailed Drilling” – ₹1130.00 lakhs; and
- (खा) “कोयला और लिग्नाइट - अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें” - ₹180.00 लाख । (B) “Coal and Lignite - Research and Development - Other Schemes”- ₹180.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कोयला कम्पनियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू किए जाने के लिए किसी स्कीम के अस्तित्व में न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-existence of any scheme to be implemented in North Eastern Region by the Coal companies.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - कोयला मंत्रालय” के अंतर्गत ₹172.49 लाख की बचत (₹1360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उपस्करों की खरीद के मूर्तरूप न लिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “3451” – “Secretariat - Ministry of Coal”- saving of ₹172.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1360.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of purchase of Information and Technology equipments and economy measures.

2. कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयला और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष “0038” - संघ उत्पाद शुल्क” को जमा की जाती हैं तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम 01 अक्टूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया, तथापि, संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

2. Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and Coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 are credited to the head “0038” “Union Excise Duties” and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on 1st October, 1986, however, all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

वर्ष 2010-11 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The Account of the fund for the year 2010-11 was as follows:-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening balance	11,42,85
प्राप्तियां	Receipts	-8,59,30
अदायगियां	Payments	16,76
अंतशेष	Closing balance	2,66,79